स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

क्रमांक:प.4(1-आर)( )स्वा.के.रा.कृ.वि./सी/2022/1178-1226 दिनांक 02.03.2022
05

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.4(1-आर)( )स्वा.के.रा.कृ.वि./सी/ 2021/1055 दिनांक 03.12.2021, के निरन्तरता मे विश्वविद्यालय के समस्त सेवारत कार्मिक एवं पेंशनर जिनकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 से पूर्व अथवा उक्त दिनांक के पश्चात हुई है, के संदर्भ में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) वर्ष 2022-23 की प्रीमियम राशि वेतन/पेंशन से कटौती कर RGHSF में जमा कराने के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही कराने हेतु निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है।

1. दिनांक 01.01.2004 से पूर्व एवं पश्चात नियुक्त, सेवारत कार्मिकों के माह मार्च-2022 के वेतन बिल से 2022-23 के लिये एक मुश्त प्रीमियम राशि रूपये 6710 प्रति कार्मिक प्रति वर्ष की दर से, कटौती कर, उक्त राशि ई-ग्रास चालान के माध्यम से राज्य सरकार के बजट मद 8342-00-120-(69) में जमा कराकर, आगामी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावे। उक्त प्रीमियम राशि में प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि की जावेगी।
2. विश्वविद्यालय के समस्त पेंशनर की RGHS के अंतर्गत सदस्यता 2022-23 के लिये एक मुश्त प्रीमियम राशि रूपये 67100 प्रति कार्मिक की दर से जमा कराने के पश्चात RGHS योजना का लाभ जीवनपर्यन्त मिलते रहने का प्रावधान है। जिन पेंशनर के सेवाकाल में वेतन से RPMF की अंशदान कटौती की गई है, उन पेंशनर द्वारा RGHS के अंतर्गत सदस्यता हेतु सहमति प्रदान करने पर विश्वविद्यालय द्वारा RPMF खाते से सहयोग के रूप में राशि रूपये 30000/- प्रति पेंशनर जमा करवाई जायेगी। शेष राशि 37100/- पेंशनर द्वारा वहन की जायेगी। जिन पेंशनर के सेवाकाल में वेतन से RPMF की अंशदान कटौती नहीं की गई है तथा जिनकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 अथवा पश्चात है, उन पेंशनर द्वारा RGHS के अंतर्गत सदस्यता हेतु सहमति प्रदान करने पर 2022-23 के लिये पूर्ण प्रीमियम एक मुश्त राशि रूपये 67100 प्रति कार्मिक की दर से स्वयं पेंशनर को ही वहन करना है। अतः पेंशनरों द्वारा उपरोक्त राशि वहन करने की सहमति प्रदान करने पर उक्त राशि एक मुश्त अथवा निम्नानुसार माह मार्च-2022 की पेंशन से कटौती करना प्रारम्भ किया जायेगा
   - (I) जिन पेंशनरों को पेंशन प्रति माह राशि रूपये 40000/- से अधिक भुगतान किया जा रहा है, उनकी पेंशन से एक मुश्त कटौती की जायेगी।
   - (II) जिन पेंशनरों को पेंशन प्रति माह राशि रूपये 40000/- तक या कम भुगतान किया जा रहा है, उनकी पेंशन से चार किस्तों में कटौती की जायेगी।

निरन्तर...............2

3. पेंशनरों से उपरोक्त राशि वहन करने का सहमति पत्र प्राप्त होने पर (RGHS) वर्ष 2022-23 की एक मुश्त प्रीमियम राशि RPMF खाते से राज्य सरकार के बजट मद में बतौर अग्रिम जमा कारवाई जायेगी तथा पेंशनरों की पेंशन से काटी गई एक मुश्त/किस्तों में काटी गई राशि समायोजन हेतु RPMF खाते में जमा की जायेगी। पेंशनरों के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा वहन की जानेवाली राशि रुपये 30000/-, भविष्य में तब तक ही वहन की जायेगी जब तक की RPMF खाते में शेष राशि उपलब्ध रहेगी।

4. <u>विश्वविद्यालय में सेवारत कार्मिकों एवं पेंशनरों के चिकित्सा व्यय पुनर्भरण का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 31.03.2022 के पश्चात नहीं किया जायेगा।</u>

अतः RGHS के अंतर्गत सदस्यता हेतु उपरोक्तानुसार एक मुश्त प्रीमियम राशि के संबंध मे पेंशनरों से सहमति पत्र के साथ में Raj ERP पर रजिस्ट्रेशन इत्यादि की प्रक्रिया पूर्ण कराने तथा योजना के सुचारु संचालन कराने हेतु पेंशनरों का विवरण, वांछित प्रारूप मे भरकर कोषाधिकारी के माध्यम से नोडल अधिकारी/ प्रभारी अधिकारी,CIMCA, को भिजवाना सुनिश्चित करावे।

(पवन कुमार कस्वां)
वित्तनियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/क्षे.निदेशक/प्रभारी अधिकारी/आहरण एवम वितरण अधिकारी
2. कुलसचिव, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर
3. निजी सचिव कुलपति, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर
4. कोषाधिकारी, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर
5. नोडलअधिकारी / प्रभारी,CIMCA, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
6. अध्यक्ष, Teaching/Non teaching,पेन्सनर्स वेलफेयर सोसाईटी, SKRAU
7. रक्षित पत्रावली/सूचनापट्ट

(पवन कुमार कस्वां)
वित्तनियंत्रक

श्रीमान वित्तनियंत्रक,
स्वामी केशवानन्द राज. कृषि वि.वि.,
बीकानेर

विषयः राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के तहत पेंशन से कटौती करने की सहमति बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है की मैं स्वामी केशवानन्द राज. कृषि वि.वि., बीकानेर के अन्तर्गत की गई सेवायें से दिनांक------------------ को सेवानिवृत हो गया / गयी हूँ तथा विश्वविद्यालय से नियमित पेंशन प्राप्त कर रहा / रही हूँ। मैं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) का लाभ लेना चाहता /चाहती हूँ। अतः विश्वविद्यालय आदेश दिनांक 05.03.2022 के अनुसरण में, मैं अपनी मासिक पेंशन से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) प्रीमियम राशि की कटौती, उक्त आदेशानुसार पेंशन से कटौती कराने के लिये अपनी सहमति प्रदान करता / करती हूँ।

दिनांक......................

भवदीय,

हस्ताक्षर....................................
नाम.......................................
PPO No......................................
SSO ID No. ....
इकाई का नाम..........................
....
Mobile Contact No. ....